



प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)



ओजस आवास विकास बेलदी, रुड़की, हरिद्वार

ओजस लेकर आ रहे है बेलदी, रुड़की, हरिद्वार की बेहतरीन लोकेशन में प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत तैयार किया गया रिहायशी टाउनशिप, लगभग 5084 एकड़ क्षेत्रफल में फैली परियोजना चारों ओर से प्राकृतिक परिवेश, आरामदायक एवं सुखद जीवनशैली का एहसास देता है।

सभी तरह के सरकारी मापदण्डों का पालन करते हुए उच्च तकनीक व आधुनिक संसाधनों से बनी ये 23,665 वर्गमीटर पर G+3 मंजिला सभी सुविधाओं जैसे नर्सिंग हॉम, मॉडन स्कूल, कॉलेज व औद्योगिक क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर स्थित है।

5.84 Acres (23,665 Sq.mtr.), 1088 Units

Ground + 3 Floor

Price ₹ 6.0* Lakhs per Unit



RERA No. :

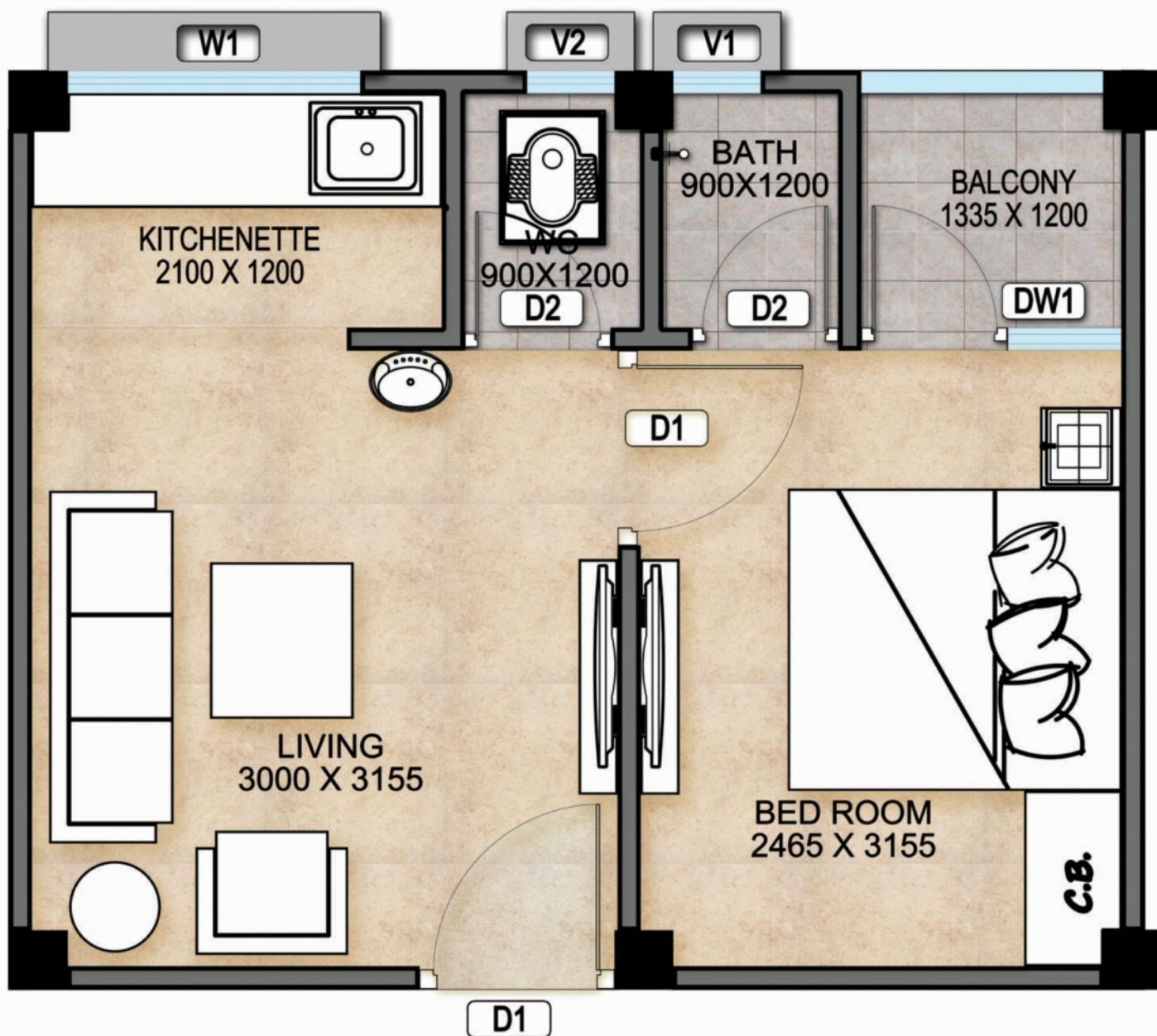
Debikay Systems Pvt. Ltd.

G-127, 12th floor, Himalaya House,
Kasturba Gandhi Marg, New Delhi (INDIA)

Contact :

8439300561, 6395003056, 9997336241

SINGLE UNIT PLAN



Carpet Area	=	23.04 Sqm.
Wall Area	=	2.37 Sqm.
Builtup Area	=	25.41 Sqm.
Balcony Area	=	1.834 Sqm.

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत निर्माणधीन/प्रस्तावित/दुर्बल आर्य वर्ग भवन (फ्लैटों) हेतु नियम एवं शर्तें।

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत चिन्हित लाभार्थियों को उत्तराखण्ड आवास नीति की शर्तों के अंतर्गत फ्लैटों का आवंटन किया जायेगा। आवंटन हेतु आवेदन करने के इच्छुक लाभार्थियों का पंजीकरण भारत सरकार के पोर्टल पर होना अनिवार्य होगा, तथा आवंटन पत्र पर यू0आई0डी0 अंकित करना अनिवार्य होगा।
2. पी0एम0ए0वाई0 के अन्तर्गत ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी के लाभार्थियों की अधिकतम वार्षिक आय प्राविधानों के अनुसार होगी।

श्रेणी	अधिकतम वार्षिक आय
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0)	3.00 लाख तक

3. लाभार्थी का चयन प्रधानमंत्री आवास योजना, सबके लिए आवास (शहरी) के अन्तर्गत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार स्थानीय नगर निकायों के माध्यम से शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया जायेगा।
4. लाभार्थियों को आवंटित आवास को परिवार की प्रमुख महिला सदस्य के नाम से आवंटित किया जायेगा। परिवार में कोई भी महिला सदस्य न होने अथवा महिला सदस्य के वयस्क न होने की स्थिति में, परिवार के प्रमुख पुरुष सदस्य के नाम से आवास आवंटित किया जा सकता है।
5. लाभार्थियों की पात्रता की जांच प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्राविधानों एवं नियमों के अनुसार की जायेगी।
6. प्रति ईकाई ई0डब्ल्यू0एस0 निर्माण की लागत उत्तराखण्ड आवास नीति के अनुसार राज्य सरकार द्वारा रु 6.00 लाख निर्धारित की गयी है, जिसमें रु0 1.50 लाख केन्द्रांश, रु0 1.00 लाख राज्यांश एवं अवशेष रु0 3.50 लाख लाभार्थी का अंश निर्धारित किया गया है। उक्त आवसीय योजना में प्रति ईकाई ई0डब्ल्यू0एस0 की निर्माण लागत रु 6.00 लाख निर्धारित की गयी है।
7. निर्मित आवासों का विक्रय आवंटी/पात्र लाभार्थी निजी निर्माणकर्ता द्वारा किया जायेगा। इस हेतु निजी निर्माणकर्ता द्वारा क्रेता/लाभार्थी के साथ एक विक्रय अनुबंध किया जायेगा तथा निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त शर्तों के अनुसार कब्जा हस्तान्तरण कर निजी निर्माणकर्ता द्वारा आवंटी लाभार्थी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित किया जायेगा।
8. निजी निर्माणकर्ता द्वारा पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटन की प्रक्रिया उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् की निगरानी में भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एवं राज्य सरकार की उत्तराखण्ड आवास नीति के आधीन की जायेगी।
9. भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान आवास नीति के अनुसार उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् के माध्यम से आवास नीति के अनुसार निजी निर्माणकर्ता को उपलब्ध कराई जायेगी, जबकि लाभार्थी का अंशदान लाभार्थी द्वारा स्वयं अग्रलिखित समय सारणी के अनुसार किया जायेगा।

लाभार्थी द्वारा देय समय सारणी के अनुसार:-

किस्त	निर्माण का चरण	भुगतान का प्रकार	धनराशि रु 3.50 लाख का प्रतिशत
प्रथम	पंजीकरण/बुकिंग के समय	लाभार्थी द्वारा	रु0 5000.00/-
द्वितीय	प्लैन्थ लेवल के निर्माण पर	लाभार्थी द्वारा	लाभार्थी अंश का 20 प्रतिशत रु0-70,000.00
तृतीय	समस्त तलों के निर्माण पर	लाभार्थी द्वारा	लाभार्थी अंश का 20 प्रतिशत रु0-70,000.00
चतुर्थ	आंतरिक कार्य जैसे - विद्युत, पेयजल, सिवरेज एवं फिनिशिंग कार्य पूर्ण किये जाने पर तथा वाह्य विकास कार्य पूर्ण किये जाने पर।	लाभार्थी द्वारा	लाभार्थी अंश का 30 प्रतिशत रु0-1,05,000.00
पंचम	परियोजना पूर्ण किये जाने पर एवं आवंटी को भवन कब्जा एवं विक्रय पत्र निष्पादन किये जाने से पूर्व।	लाभार्थी द्वारा	लाभार्थी अंश का 30 प्रतिशत रु0-1,00,000.00 रजिस्ट्रेशन/बुकिंग के दौरान ली गयी धनराशि का समायोजन करते हुए।

नोट: यदि उत्तराखण्ड शासन द्वारा **Payment Plan** में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह दोनों पक्षों को मान्य होगा।

10. प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ई0डब्ल्यू0एस0 आवास का आवंटन निजी निर्माणकर्ता द्वारा पात्र लाभार्थी सूची से आवास नीति के अन्तर्गत परिषद् की सहमति के बाद ही की जायेगी।
11. पंजीकृत लाभार्थी को ब्रोशर में अधिकृत बैंको के माध्यम से निर्धारित पंजीकरण धनराशि रुपये 5,000/- जमा कराते हुए आवेदन फार्म जमा कराना होगा।
12. पंजीकृत लाभार्थियों को फ्लैटों का आवंटन सार्वजनिक लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से किया जायेगा। जिसमें सर्वप्रथम विकलांग एवं वरिष्ठ नागरिकों को यथा सम्भव भूतल पर लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से फ्लैटों का आवंटन किया जायेगा, तदोपरान्त शेष पंजीकृत आवेदकों के मध्य फ्लैटों का आवंटन किया जायेगा। फ्लैट आवंटन की प्रक्रिया के दौरान आवंटन हेतु शेष बचे पंजीकृत लाभार्थियों के मध्य 10% प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी।
13. लॉटरी ड्रॉ प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त पंजीकृत असफल लाभार्थियों की पंजीकरण धनराशि रुपये 5,000/- निजी निर्माणकर्ता द्वारा एक माह के अन्दर बिना व्याज के वापस (रिफण्ड) कर दी जायेगी।
14. आवेदक को उत्तराखण्ड में दिनांक 17.06.2015 से पूर्व निवास करने की तिथि का साक्ष्य जिसमें

आधार कार्ड/फोटो पहचान पत्र या अन्य कोई साक्ष्य जो किसी शासकीय कार्यालय /विभाग/संस्था द्वारा निर्गत किया गया हो तथा इसके अतिरिक्त दो नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो पंजीकरण के समय जमा कराने होंगे।

15. लाभार्थी द्वारा पंजीकरण के साथ एक सत्यापित शपथ पत्र देना होगा कि लाभार्थी का सम्पूर्ण भारत में कहीं भी पक्का आवास नहीं है।
16. लाभार्थी द्वारा धनराशि समय सारणी के अनुसार जमा न कराये जाने की स्थिति में लाभार्थी का आवंटन निरस्त कर प्रतीक्षा सूची में प्रतीक्षारत लाभार्थी को आवंटन किया जायेगा तथा लाभार्थी की जमा आवंटन धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
17. भवन (फ्लैट) का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त यदि कोई आवंटी/लाभार्थी शर्तों का उल्लंघन करने, अपात्र सिद्ध होने एवं तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्य प्रस्तुत कर आवंटन कराता है तो ऐसी परिस्थितियों में जमा धनराशि जब्त करते हुए आवंटन निरस्त कर कब्जा वापस ले लिया जायेगा।
18. लाभार्थियों को आवंटित आवास का भौतिक कब्जा प्राप्त होने से, 03 माह की अवधि में आवास में प्रवेश करना अनिवार्य होगा। अन्यथा लाभार्थी का आवंटन निरस्त कर प्रतीक्षा सूची के पात्र लाभार्थी को आवंटित कर दिया जायेगा तथा आवंटी/लाभार्थी द्वारा जमा की गई धनराशि में रेरा के मानकों के अनुसार कटौती करते हुए शेष धनराशि निजी निर्माणकर्ता द्वारा एक माह के अन्दर वापिस (रिफण्ड) की जायेगी।
19. चयनित लाभार्थियों द्वारा यदि अपरिहार्य कारणों से आवास प्राप्त हेतु असमर्थता/अनिच्छा व्यक्त की जाती है/अथवा उसका नाम पात्रता सूची से किसी कारणवश हटा दिया जाता है, तो इस स्थिति में प्रतीक्षा सूची में वरीयता धारित करने वाले लाभार्थी का चयन किया जा सकेगा तथा आवंटी/लाभार्थी द्वारा जमा की गई धनराशि में रेरा के मानकों के अनुसार कटौती करते हुए शेष धनराशि निजी निर्माणकर्ता द्वारा एक माह के अन्दर वापिस (रिफण्ड) की जायेगी।
20. पंजीकरण हेतु चिन्हित लाभार्थियों/आवंटियों के साथ निजी निर्माणकर्ता एवं लाभार्थी के मध्य एक अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।
21. लाभार्थी द्वारा 10 वर्षों की अवधि तक उक्त आवास को किसी अन्य को विक्रय नहीं किया जायेगा। ऐसा किये जाने की स्थिति में लाभार्थी का आवंटन तत्काल निरस्त कर पात्र लाभार्थी को तत्समय आवास नीति के अनुसार आवास आवंटित कर दिया जायेगा। और ऐसी स्थिति में लाभार्थी/आवंटी द्वारा जमा की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
22. लाभार्थी द्वारा बैंकों से ऋण प्राप्त किये जाने की दशा में लाभार्थी / बैंक/ निर्माणकर्ता के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादित किया जायेगा।
23. स्वीकृत मानचित्र एवं ब्रोशर में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप स्थल पर निर्माण कार्य कराने एवं निर्धारित समय के अंतर्गत लाभार्थी को कब्जा स्थानान्तरण कर विक्रय पत्र निष्पादित कराने का दायित्व निजी निर्माणकर्ता का होगा। इसी प्रकार निर्धारित भुगतान सारणी के अनुसार भुगतान का उत्तरदायित्व लाभार्थी का होगा। दोनों ही पक्ष वाद-विवाद की स्थिति में परस्पर विचार-विमर्श कर विवाद का निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।

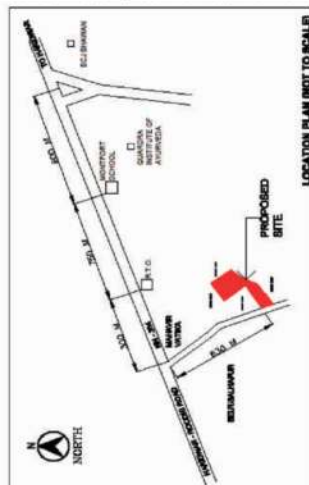
तदुपेरान्त भी यदि कोई पक्ष असंतुष्ट रहता है, तो वह उचित फोरम में शिकायत दर्ज कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। किसी भी पक्षकार द्वारा इस हेतु आवास एवं विकास परिषद् अथवा राज्य सरकार को पक्षकार नहीं बनाया जायेगा और ना ही कोई अनुतोष राज्य सरकार या उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् से प्राप्त करने हेतु दावा किया जायेगा।

24. राज्य सरकार समय-समय पर उत्तराखण्ड आवास नीति के प्राविधानों की समीक्षा करेगी तथा आवश्यकतानुसार व्यापक जनहित में नीति के प्राविधानों में उचित संशोधन करेगी। जो लाभार्थी को स्वीकार्य होगा।
25. दुर्बल आय वर्ग प्रति फ्लैट का कवर्ड ऐरिया 25.41 वर्ग मीटर, कार्पेट ऐरिया 23.04 वर्ग मीटर एवं वॉल ऐरिया 2.37 वर्ग मीटर, बॉलकोनी 1.834 वर्ग मीटर है।
26. आवंटी द्वारा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ विभिन्न अन्य निकायों से सम्बन्धित देय फ्लैट के कब्जे के उपरान्त निर्धारित प्राविधानों के अनुसार देय सभी करों का भुगतान स्वयं करना होगा।
27. आवंटित भवन (फ्लैट) में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन मान्य नहीं होगा।
28. फ्लैट के सबसे ऊपरी तल के छत का अधिकार निजी निर्माणकर्ता में निहित होगा।
29. निजी निर्माणकर्ता द्वारा परियोजना के अनुरक्षण एवं रखरखाव हेतु एक Resident Welfare Association का गठन सुनिश्चित कराया जायेगा। इस हेतु लाभार्थी द्वारा एक मुश्त अनुरक्षण शुल्क रुपये-16,140.00 का देय होगा। इस हेतु Resident Welfare Association का बैंक में एक अलग से खाता खोला जायेगा। जिसमें समस्त अनुरक्षण शुल्क एवं मासिक, वार्षिक रखरखाव शुल्क जिसको Resident Welfare Association द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जमा कराया जायेगा। इस हेतु प्रथम दो वर्ष हेतु प्रतिमाह शुल्क-लाभार्थी द्वारा कब्जा प्राप्त करने हेतु सूचित किये जाने के अगले माह से देय होगा। दो वर्ष उपरान्त Resident Welfare Association मासिक शुल्क को पुनः सुनिश्चित करेगी। इसके उपरान्त Resident Welfare Association समस्त सार्वजनिक सुविधाओं एवं वाह्य अनुरक्षण करेगी।
30. भवन (फ्लैट) का भौतिक कब्जा प्राप्त करने से पूर्व में लाभार्थी को उत्तराखण्ड आवास नीति के अनुसार प्रशासनिक शुल्क रुपये-16,140.00 पृथक से जमा कराना होगा जो कि उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् को देय होगा।
31. भवन (फ्लैट) का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त फ्लैट की आन्तरिक देखभाल एवं अनुरक्षण का दायित्व स्वयं आवंटी का होगा तथा योजना के अन्तर्गत वाह्य अनुरक्षण हेतु आवंटियों को अपनी पंजीकृत वैलफेयर सोसाइटी का गठन कर पंजीकृत कराना होगा एवं नियमानुसार संचालन करना होगा।
32. आवंटित भवन (फ्लैट) में विद्युत कनेक्शन एवं जल संयोजन स्वयं कराना होगा।
33. आवंटन पश्चात् एवं विक्रय पत्र निष्पादित होने से पूर्व में किसी आवंटी के मृत्यु होने के उपरान्त उसके वारिसों के नाम पर नियमानुसार वारिसान प्रमाण पत्र/ उत्तरजीवी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त नामान्तरण किया जा सकेगा।

34. निर्मित भवन (फ्लैट) "जैसा है जहां है" के आधार पर आवंटित किये जायेंगे इस संबंध में कोई आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।
35. आवंटन उपरान्त लाभार्थियों के पक्ष में आवंटित फ्लैट का नम्बर व तल का परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
36. आवंटी/लाभार्थी को फ्लैट का आवंटन केवल आवास के प्रयोजन हेतु किया जायेगा। आवंटी/लाभार्थी फ्लैट का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं करेगा। यदि आवंटी/लाभार्थी आवंटित फ्लैट को आवास के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु उपयोग करता है तो ऐसी स्थिति में आवंटी/लाभार्थी का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और उसके द्वारा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
37. रेरा के अन्तर्गत योजना का पंजीकरण संख्या है।
38. उक्त आवंटन प्रधानमंत्री, आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत किये जा रहे हैं इस क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत सभी शर्तें लाभार्थी को मान्य होंगी एवं लाभार्थी पर लागू होंगी।
39. आवंटन की सभी नियम व शर्तें लाभार्थी को स्वीकार हैं इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
40. योजना के अन्तर्गत जारी किये गये सभी नियम/शर्तें ब्रोशर में उल्लिखित शर्तें घोषणा पत्र में उल्लिखित शर्तें एवं योजना से सम्बन्धित समय-समय पर जारी नियम व शर्तें एवं अनुबन्ध के रूप में लागू होंगी और आवंटी को पूर्ण रूप से मान्य होगी।



AREA STATEMENT		AREA IN SQM	PERMANENT
S.NO	DESCRIPTION		
1	TOTAL SITE AREA	2300.0	2.2657 HEC
2	ROAD PAVING AREA	481.30	
3	NET FLOT AREA (TOTAL SITE AREA MINUS ROAD)	2310.70	2.3107 HEC
4	REQUIRED GREEN AREA	2318.37	10% OF SITE AREA
5	PROPOSED GREEN AREA	2387.20	10% OF SITE AREA
6	MAXIMUM COMMERCIAL PLOT AREA	3477.50	15% OF PERMISSIBLE F&P
7	PROPOSED COMMERCIAL PLOT AREA	327.33	
8	REQUIRED PUBLIC SEMI-PUBLIC PLOT AREA	750	FOR UP TO 1000 PERSONS
9	PROPOSED PUBLIC SEMI-PUBLIC PLOT AREA	752.41	
10	COMMERCIAL GROUND COVERAGE	158.03	5% GROUND COVERAGE
11	RESIDENTIAL GROUND COVERAGE	451.44	5% GROUND COVERAGE
12	RECREATIONAL GROUND COVERAGE	799.86	
13	PUBLIC SEMI-PUBLIC TOTAL COVERED AREA	1254.33	13.00%
14	COMMERCIAL TOTAL COVERED AREA	458.06	15.00%
15	RESIDENTIAL TOTAL COVERED AREA	3187.64	
16	TOTAL COVERED AREA	33719.45	50 %
17	REQUIRED GROUND COVERAGE	11091.65	37.68 %
18	PROPOSED GROUND COVERAGE	8600.33	22.5
19	REQUIRED F&P	11091.65	1.48
20	PROPOSED F&P	33719.45	
21	UNIT REQUIRED (NET+4000 UNIT)	11618 UNITS	2.2393 L 550 UNITS
22	UNIT PROVIDED (100%)	5809 UNITS	
23	POPULATION DENSITY (4 PERSONS/UNIT)	5440 PAX	5.1 1508 + 4440
24	PARKING AREA (EVS) EGS 20 SPOTS FOR 8 UNITS (EVS) EGS 20 SPOTS FOR 8 UNITS PARKING AREA PROVIDED (ECS) PARKING AREA REQUIRED PARKING AREA PROVIDED	1088 / 8 + 198 EGS 157 ECS 3128.00 SQM 3154.44 SQM	
RAIN WATER HARVESTING CALCULATION			
PLOT AREA		23183.75 SQM	
GROUND COVERAGE AREA/ROOF AREA		8600.33 SQM	
RAINFALL VOLUME TILL 400 MM		3.5 CM	
RAINFALL VOLUME BALANCE REQUIRED (Rainfall Area x 2.5 IN)		62.50 CM	
TOTAL RAINFALL VOLUME REQUIRED		65.50 CM	
PROPOSED VOLUME OF SINGLE TANK		30.2 CM	
PROPOSED VOLUME @ 3 TANKS		90.6 CM	



LAUNCHING GREEN AREA		SET BACK	
SPACES	AREA (SQUARE)	REQUIREMENT	PROVIDENT
L-1	111.88	FRONT	8.5
L-2	78.20	REAR	8.0
L-3	108.34	SIDE-1	5.0
TOTAL			

STANDARD AREA CALCULATION		SUBJECT		SUBJECT		SUBJECT	
STANDARD AREA CALCULATION		SUBJECT		SUBJECT		SUBJECT	
PARTIAL AREA IN NET BACK							
AREA 1	10.00	AREA 2	10.00	AREA 3	10.00	AREA 4	10.00
AREA 5	10.00	AREA 6	10.00	AREA 7	10.00	AREA 8	10.00
AREA 9	10.00	AREA 10	10.00	AREA 11	10.00	AREA 12	10.00
AREA 13	10.00	AREA 14	10.00	AREA 15	10.00	AREA 16	10.00
AREA 17	10.00	AREA 18	10.00	AREA 19	10.00	AREA 20	10.00
AREA 21	10.00	AREA 22	10.00	AREA 23	10.00	AREA 24	10.00
AREA 25	10.00	AREA 26	10.00	AREA 27	10.00	AREA 28	10.00
AREA 29	10.00	AREA 30	10.00	AREA 31	10.00	AREA 32	10.00
AREA 33	10.00	AREA 34	10.00	AREA 35	10.00	AREA 36	10.00
AREA 37	10.00	AREA 38	10.00	AREA 39	10.00	AREA 40	10.00
AREA 41	10.00	AREA 42	10.00	AREA 43	10.00	AREA 44	10.00
AREA 45	10.00	AREA 46	10.00	AREA 47	10.00	AREA 48	10.00
AREA 49	10.00	AREA 50	10.00	AREA 51	10.00	AREA 52	10.00
AREA 53	10.00	AREA 54	10.00	AREA 55	10.00	AREA 56	10.00
AREA 57	10.00	AREA 58	10.00	AREA 59	10.00	AREA 60	10.00
AREA 61	10.00	AREA 62	10.00	AREA 63	10.00	AREA 64	10.00
AREA 65	10.00	AREA 66	10.00	AREA 67	10.00	AREA 68	10.00
AREA 69	10.00	AREA 70	10.00	AREA 71	10.00	AREA 72	10.00
AREA 73	10.00	AREA 74	10.00	AREA 75	10.00	AREA 76	10.00
AREA 77	10.00	AREA 78	10.00	AREA 79	10.00	AREA 80	10.00
AREA 81	10.00	AREA 82	10.00	AREA 83	10.00	AREA 84	10.00
AREA 85	10.00	AREA 86	10.00	AREA 87	10.00	AREA 88	10.00
AREA 89	10.00	AREA 90	10.00	AREA 91	10.00	AREA 92	10.00
AREA 93	10.00	AREA 94	10.00	AREA 95	10.00	AREA 96	10.00
AREA 97	10.00	AREA 98	10.00	AREA 99	10.00	AREA 100	10.00
AREA 101	10.00	AREA 102	10.00	AREA 103	10.00	AREA 104	10.00
AREA 105	10.00	AREA 106	10.00	AREA 107	10.00	AREA 108	10.00
AREA 109	10.00	AREA 110	10.00	AREA 111	10.00	AREA 112	10.00
AREA 113	10.00	AREA 114	10.00	AREA 115	10.00	AREA 116	10.00
AREA 117	10.00	AREA 118	10.00	AREA 119	10.00	AREA 120	10.00
AREA 121	10.00	AREA 122	10.00	AREA 123	10.00	AREA 124	10.00
AREA 125	10.00	AREA 126	10.00	AREA 127	10.00	AREA 128	10.00
AREA 129	10.00	AREA 130	10.00	AREA 131	10.00	AREA 132	10.00
AREA 133	10.00	AREA 134	10.00	AREA 135	10.00	AREA 136	10.00
AREA 137	10.00	AREA 138	10.00	AREA 139	10.00	AREA 140	10.00
AREA 141	10.00	AREA 142	10.00	AREA 143	10.00	AREA 144	10.00
AREA 145	10.00	AREA 146	10.00	AREA 147	10.00	AREA 148	10.00
AREA 149	10.00	AREA 150	10.00	AREA 151	10.00	AREA 152	10.00
AREA 153	10.00	AREA 154	10.00	AREA 155	10.00	AREA 156	10.00
AREA 157	10.00	AREA 158	10.00	AREA 159	10.00	AREA 160	10.00
AREA 161	10.00	AREA 162	10.00	AREA 163	10.00	AREA 164	10.00
AREA 165	10.00	AREA 166	10.00	AREA 167	10.00	AREA 168	10.00
AREA 169	10.00	AREA 170	10.00	AREA 171	10.00	AREA 172	10.00
AREA 173	10.00	AREA 174	10.00	AREA 175	10.00	AREA 176	10.00
AREA 177	10.00	AREA 178	10.00	AREA 179	10.00	AREA 180	10.00
AREA 181	10.00	AREA 182	10.00	AREA 183	10.00	AREA 184	10.00
AREA 185	10.00	AREA 186	10.00	AREA 187	10.00	AREA 188	10.00
AREA 189	10.00	AREA 190	10.00	AREA 191	10.00	AREA 192	10.00
AREA 193	10.00	AREA 194	10.00	AREA 195	10.00	AREA 196	10.00
AREA 197	10.00	AREA 198	10.00	AREA 199	10.00	AREA 200	10.00
AREA 201	10.00	AREA 202	10.00	AREA 203	10.00	AREA 204	10.00
AREA 205	10.00	AREA 206	10.00	AREA 207	10.00	AREA 208	10.00
AREA 209	10.00	AREA 210	10.00	AREA 211	10.00	AREA 212	10.00
AREA 213	10.00	AREA 214	10.00	AREA 215	10.00	AREA 216	10.00
AREA 217	10.00	AREA 218	10.00	AREA 219	10.00	AREA 220	10.00
AREA 221	10.00	AREA 222	10.00	AREA 223	10.00	AREA 224	10.00
AREA 225	10.00	AREA 226	10.00	AREA 227	10.00	AREA 228	10.00
AREA 229	10.00	AREA 230	10.00	AREA 231	10.00	AREA 232	10.00
AREA 233	10.00	AREA 234	10.00	AREA 235	10.00	AREA 236	10.00
AREA 237	10.00	AREA 238	10.00	AREA 239	10.00	AREA 240	10.00
AREA 241	10.00	AREA 242	10.00	AREA 243	10.00	AREA 244	10.00
AREA 245	10.00	AREA 246	10.00	AREA 247	10.00	AREA 248	10.00
AREA 249	10.00	AREA 250	10.00	AREA 251	10.00	AREA 252	10.00
AREA 253	10.00	AREA 254	10.00	AREA 255	10.00	AREA 256	10.00
AREA 257	10.00	AREA 258	10.00	AREA 259	10.00	AREA 260	10.00
AREA 261	10.00	AREA 262	10.00	AREA 263	10.00	AREA 264	10.00
AREA 265	10.00	AREA 266	10.00	AREA 267	10.00	AREA 268	10.00
AREA 269	10.00	AREA 270	10.00	AREA 271	10.00	AREA 272	10.00
AREA 273	10.00	AREA 274	10.00	AREA 275	10.00	AREA 276	10.00
AREA 277	10.00	AREA 278	10.00	AREA 279	10.00	AREA 280	10.00
AREA 281	10.00	AREA 282	10.00	AREA 283	10.00	AREA 284	10.00
AREA 285	10.00	AREA 286	10.00	AREA 287	10.00	AREA 288	10.00
AREA 289	10.00	AREA 290	10.00	AREA 291	10.00	AREA 292	10.00
AREA 293	10.00	AREA 294	10.00	AREA 295	10.00	AREA 296	10.00
AREA 297	10.00	AREA 298	10.00	AREA 299	10.00	AREA 300	10.00
AREA 301	10.00	AREA 302	10.00	AREA 303	10.00	AREA 304	10.00
AREA 305	10.00	AREA 306	10.00	AREA 307	10.00	AREA 308	10.00
AREA 309	10.00	AREA 310	10.00	AREA 311	10.00	AREA 312	10.00
AREA 313	10.00	AREA 314	10.00	AREA 315	10.00	AREA 316	10.00
AREA 317	10.00	AREA 318	10.00	AREA 319	10.00	AREA 320	10.00
AREA 321	10.00	AREA 322	10.00	AREA 323	10.00	AREA 324	10.00
AREA 325	10.00	AREA 326	10.00	AREA 327	10.00	AREA 328	10.00
AREA 329	10.00	AREA 330	10.00	AREA 331	10.00	AREA 332	10.00
AREA 333	10.00	AREA 334	10.00	AREA 335	10.00	AREA 336	10.00
AREA 337	10.00	AREA 338	10.00	AREA 339	10.00	AREA 340	10.00
AREA 341	10.00	AREA 342	10.00	AREA 343	10.00	AREA 344	10.00
AREA 345	10.00	AREA 346	10.00	AREA 347	10.00	AREA 348	10.00
AREA 349	10.00	AREA 350	10.00	AREA 351	10.00	AREA 352	10.00
AREA 353	10.00	AREA 354	10.00	AREA 355	10.00	AREA 356	10.00
AREA 357	10.00	AREA 358	10.00	AREA 359	10.00	AREA 360	10.00
AREA 361	10.00	AREA 362	10.00	AREA 363	10.00	AREA 364	10.00
AREA 365	10.00	AREA 366	10.00	AREA 367	10.00	AREA 368	10.00
AREA 369	10.00	AREA 370	10.00	AREA 371	10.00	AREA 372	10.00
AREA 373	10.00	AREA 374	10.00	AREA 375	10.00	AREA 376	10.00
AREA 377	10.00	AREA 378	10.00	AREA 379	10.00	AREA 380	10.00
AREA 381	10.00	AREA 382	10.00	AREA 383	10.00	AREA 384	10.00
AREA 385	10.00	AREA 386	10.00	AREA 387	10.00	AREA 388	10.00
AREA 389	10.00	AREA 390	10.00	AREA 391	10.00	AREA 392	10.00
AREA 393	10.00	AREA 394	10.00	AREA 395	10.00	AREA 396	10.00
AREA 397	10.00	AREA 398	10.00	AREA 399	10.00	AREA 400	10.00
AREA 401	10.00	AREA 402	10.00	AREA 403	10.00	AREA 404	10.00
AREA 405	10.00	AREA 406	10.00	AREA 407	10.00	AREA 408	10.00
AREA 409	10.00	AREA 410	10.00	AREA 411	10.00	AREA 412	10.00
AREA 413	10.00	AREA 414	10.00	AREA 415	10.00	AREA 416	10.00
AREA 417	10.00	AREA 418	10.00	AREA 419	10.00	AREA 420	10.00
AREA 421	10.00	AREA 422	10.00	AREA 423	10.00	AREA 424	10.00
AREA 425	10.00	AREA 426	10.00	AREA 427	10.00	AREA 428	10.00
AREA 429	10.00	AREA 430	10.00	AREA 431	10.00	AREA 432	10.00
AREA 433	10.00	AREA 434	10.00	AREA 435	10.00	AREA 436	10.00
AREA 437	10.00	AREA 438	10.00	AREA 439	10.00	AREA 440	10.00
AREA 441	10.00	AREA 442	10.00	AREA 443	10.00	AREA 444	10.00
AREA 445	10.00	AREA 446	10.00	AREA 447	10.00	AREA 448	10.00
AREA 449	10.00	AREA 450	10.00	AREA 451	10.00	AREA 452	10.00
AREA 453	10.00	AREA 454	10.00	AREA 455	10.00	AREA 456	10.00
AREA 457	10.00	AREA 458	10.00	AREA 459	10.00	AREA 460	10.00
AREA 461	10.00	AREA 462	10.00	AREA 463	10.00	AREA 464	10.00
AREA 465	10.00	AREA 466	10.00	AREA 467	10.00	AREA 468	10.00
AREA 469	10.00	AREA 470	10.00	AREA 471	10.00	AREA 472	10.00
AREA 473	10.00	AREA 474	10.00	AREA 475	10.00	AREA 476	10.00
AREA 477	10.00	AREA 478	10.00	AREA 479	10.00	AREA 480	10.00
AREA 481	10.00	AREA 482	10.00	AREA 483	10.00	AREA 484	10.00
AREA 485	10.00	AREA 486	10.00	AREA 487	10.00	AREA 488	10.00
AREA 489	10.00	AREA 490	10.00	AREA 491	10.00	AREA 492	10.00
AREA 493	10.00	AREA 494	10.00	AREA 495	10.00	AREA 496	10.00
AREA 497	10.00	AREA 498	10.00	AREA 499	10.00	AREA 500	10.00
AREA 501	10.00	AREA 502	10.00	AREA 503	10.00	AREA 504	10.00
AREA 505	10.00	AREA 506	10.00	AREA 507	10.00	AREA 508	10.00
AREA 509	10.00	AREA 510	10.00	AREA 511	10.00	AREA 512	10.00
AREA 513	10.00	AREA 514	10.00	AREA 515	10.00	AREA 516	10.00
AREA 517	10.00	AREA 518	10.00	AREA 519	10.00	AREA 520	10.00
AREA 521	10.00	AREA 522	10.00	AREA 523	10.00	AREA 524	10.00
AREA 525	10.00	AREA 526	10.00	AREA 527	10.00	AREA 528	10.00
AREA 529	10.00	AREA 530	10.00	AREA 531	10.00	AREA 532	10.00
AREA 533	10.00	AREA 534	10.00	AREA 535	10.00	AREA 536	10.00
AREA 537	10.00	AREA 538	10.00	AREA 539	10.00	AREA 540	10.00
AREA 541	10.00	AREA 542	10.00	AREA 543	10.00	AREA 544	10.00
AREA 545	10.00	AREA 546	10.00	AREA 547	10.00	AREA 548	10.00
AREA 549	10.00	AREA 550	10.00	AREA 551	10.00	AREA 552	10.00
AREA 553	10.00	AREA 554	10.00	AREA 555	10.00	AREA 556	10.00
AREA 557	10.00	AREA 558	10.00	AREA 559	10.00	AREA 560	10.00
AREA 561	10.00	AREA 562	10.00	AREA 563	10.00	AREA 564	10.00
AREA 565	10.00	AREA 566	10.00	AREA 567	10.00	AREA 568	10.00
AREA 569	10.00	AREA 570	10.00	AREA 571	10.00	AREA 572	10.00
AREA 573	10.00	AREA 574	10.00	AREA 575	10.00	AREA 576	10.00
AREA 577	10.00	AREA 578	10.00	AREA 579	10.00	AREA 580	10.00
AREA 581	10.00	AREA 582	10.00	AREA 583	10.00	AREA 584	10.00
AREA 585	10.00	AREA 586	10.00	AREA 587	10.00	AREA 588	10.00
AREA 589							

[illegible][illegible]